टी0ए0 मिस केस सं0 229/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
01.06.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका **वोन्डा देवगम, पिता– स्व0 लादुरा देवगम,** ग्राम– **मतकमहातु,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **मतकमहातु, थाना न0 – 642,** खाता न0– **22,** प्लॉट न0– **1455,** रकवा– **0.06½ एकड़** भूमि केता **रायमुनी कुई, पति– दोरगा बोयपाई,** ग्राम– **धाधरी,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। बिकेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदिका के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **355,** दिनांक **22.05.2019** के द्वारा कुर्सीनामा तथा बिकेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण उक्त भू–खण्ड को केता **रायमुनी कुई, पति– दोरगा बोयपाई,** ग्राम– **धाधरी,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास **6,95,500.00/–(छः लाख पंचानब्बे हजार पाच सौ) रुपये** में बिकी करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एवं केता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिकी के पश्चात् आवेदक के पास अवशेष भूमि **3.20** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण – पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में बिकेता **वोन्डा देवगम, पिता– स्व0 लादुरा देवगम,** ग्राम– **मतकमहातु,** केता **रायमुनी कुई, पति– दोरगा बोयपाई,** ग्राम– **धाधरी,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **6,95,500.00/–(छः लाख पंचानब्बे हजार पाच सौ)** में मौजा– **मतकमहातु, थाना न0 – 642,** खाता न0– **22,** प्लॉट न0– **1455,** रकवा– **0.06½ एकड़** जमीन बिकी करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिकी द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति..........दी जाती है। लेखापित [signature] 1/6 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 1/6/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner